न्यायालय श्रीमान ADJ नं. 1 एवं MACT [illegible]

MACC/219/2019

Award दि. 16/8/2022

श्री [illegible] द्वारा पेश 17/10/2022

लक्ष्मीनारायण [illegible] — आवेदक

VS

अप्रार्थी गण आदि — अनावेदकगण

माननीय महोदय,

आवेदक की अर्ज है कि निम्न प्रकार है कि

उक्त प्रकरण में Award अनुसार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आवेदक [illegible] की [illegible] [illegible] है

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदक को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] करने की कृपा करें

निवेदक

संलग्न - आदेश दिनांक - 16/8/2022 प्रमाणित प्रति

लक्ष्मीनारायण पुत्र [illegible] निवासी ग्राम [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

द्वारा एडवोकेट [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | 31.10.2022 | आवेदक लक्ष्मीनारायण सहित श्री लोकेन्द्र श्रीमाल अधिवक्ता उपस्थित।<br>प्रकरण अवार्ड राशि भुगतान आवेदन पर विचार हेतु नियत है।<br>अभिलेखागार गुना से क्लेम प्र0क0 219/2019 लक्ष्मीनारायण वि0 आजाद खॉं आदि अवार्ड दिनांक 16.08.2022 प्राप्त।<br>प्रकरण में आवेदक द्वारा दिनांक 16.08.2022 को अवार्ड राशि भुगतान हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सुना गया। | |

Scanned by TapScanner

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|
| | आवेदक लक्ष्मीनारायण की पहचान अधिवक्ता श्री लोकेन्द्र श्रीमाल द्वारा की गई। प्रकरण में आवेदक लक्ष्मीनारायण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड एवं बचत खाता पास बुक में लक्ष्मीनारायण पिता तुलसीराम खत्री अंकित है। जबकि मूल क्लेम प्रकरण में लक्ष्मीनारायण पुत्र तुलसीराम खटीक अंकित है। इसके संबंध में आवेदक लक्ष्मीनारायण पिता तुलसीराम द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें आवेदक लक्ष्मीनारायण की पहचान अधिवक्ता श्री लोकेन्द्र श्रीमाल द्वारा की गई।<br>आवेदन के संबंध में मूल क्लेम प्रकरण कमांक 219/2019 के अवलोकन से दर्शित होता है कि न्यायालय द्वारा आवेदक लक्ष्मीनारायण के पक्ष में कुल रूपये 500000/(पांच लाख रूपये) का दिनांक 16.08.2022 को अवार्ड पारित किया गया है, क्लेम राजीनामा अवार्ड के अनुसार अनावेदक बीमा कंपनी 500000/– रूपये (पांच लाख रूपये) आवेदक लक्ष्मीनारायण पुत्र तुलसीराम को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदाय करेंगी। बीमा कंपनी को आदेशित किया जाता है कि अवार्ड दिनांक 16.08.2022 से दो माह की समयावधि में उपरोक्त राशि आवेदक को प्रदाय करें। अनावेदक कमांक 3 बीमा कंपनी को आदेशित किया गया है कि उपरोक्त समयावधि में क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी के व्यतिकम में 6 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करेगी।<br>आवेदक को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि में से 50 प्रतिशत राशि किसी राष्ट्रीयकृत वैंक में स्थित आधार लिंक बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावेगी। तथा शेष 50 प्रतिशत राशि उसके नाम से त्रैमासिक अंतराल पर देय ब्याज की स्कीम में तीन वर्ष की अवधि के लिये सावधि जमा की जावे। जिस पर देय ब्याज नियमित रूप से आवेदक को मिलता रहेगा। जिस पर कोई ऋण या भार अधिरोपित नहीं किया जा सकेगा। जिसके पालन में अनावेदक कमांक 3 के अधिवक्ता द्वारा आई सी आई सी आई बैंक का चैक कमांक 938758 दिनांक 29.08.2022 जमा की है, उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक शाखा साढा कालोनी राघौगढ में इस न्यायालय के अधिकरण खाता कमांक 40532150442 में दिनांक 01.10.2022 को जमा है।<br>आवेदक उक्त अवार्ड राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।<br>आवेदक लक्ष्मीनारायण को रूपये 500000/– पॉच लाख रूपये में से 250000/–(दो लाख पचास हजार रूपये) किसी राष्ट्रीयकृत वैंक में स्थित आधार लिंक बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावेगी। शेष 250000/–(दो लाख पचास हजार रूपये) की आवेदक लक्ष्मीनारायण के नाम त्रैमासिक अंतराल पर देय ब्याज की स्कीम में तीन वर्ष की अवधि के लिये सावधि जमा की जावे। | लक्ष्मीनारायण<br>लोकेन्द्र श्रीमाल |



Scanned by TapScanner

II—156
C.J.

# Order Sheet [Contd]

Case No. ........of 20........

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|

प्राप्ति अभिस्वीकृति आदेश पत्रिका की हांसिया पर ली जावे।

आदेश की प्रति मूल अभिलेलख में संलग्न की जावे।

प्रकरण का परिणाम सीआईएस में दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार गुना में जमा किया जावे।

विजय कुमार शर्मा
सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
राघोगढ़ जिला गुना म0प्र0

पुनश्चः—

आवेदक लक्ष्मीनारायण को उक्त आदेश के पालन में आहरण पत्रक तैयार किया जाकर प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा साढा कालोनी राघौगढ के नाम से चैक कमांकः— 021707 दिनांक 31.10.2022 आवेदक लक्ष्मीनारायण को रूपये 500000/— पॉच लाख रूपये में से 250000/—(दो लाख पचास हजार रूपये) किसी राष्ट्रीयकृत वैंक में स्थित आधार लिंक बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावेगी। शेष 250000/—(दो लाख पचास हजार रूपये) की आवेदक लक्ष्मीनारायण के नाम त्रैमासिक अंतराल पर देय ब्याज की स्कीम में तीन वर्ष की अवधि के लिये सावधि जमा की जावे।

आवेदक लक्ष्मीनारायण की पहचान अधिवक्ता श्री लोकेन्द्र श्रीमाल द्वारा की गई तथा आवेदक लक्ष्मीनारायण का आधार कार्ड कमांकः— **573812727963** की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गई। प्राप्ति अभिस्वीकृति आदेश पत्रिका के हांसिया पर ली गई।

प्रकरण अभिलेखागार गुना में जमा किया जावे।

विजय कुमार शर्मा
सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
राघोगढ़ जिला गुना म0प्र0

Scanned by TapScanner